

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ 26 0 /2024

दिनांक 13.11.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ/243/2024 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा श्रीमती मीनाक्षी व्यास (RJ01161), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी) हाल अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, झालावाड़ को दिनांक 30.09.2024 से 16.10.2024 तक 17 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 29.09.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 16.10.2024 का एक दिवस का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/26/2017/097-0

दिनांक 13.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 2546 दिनांक 16.10.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती मीनाक्षी व्यास (RJ01161), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, झालावाड़।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)।

  
सहायक रजिस्ट्रार